

दैनिक घटती घटना

Www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अधिकापुरवर्ष 20, अंक - 157 मंगलवार, 09 अप्रैल 2024, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे पर केंद्र से कहा कि हमें ध्वजवाहक बनना होगा और राष्ट्र के साथ मार्च करना होगा

एक अफसर की सर्विस की बहाल

नई दिल्ली, 08 अप्रैल 2024 (ए)। कोस्ट गार्ड में महिला अफसर को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी को सिर से चेताया था कि या तो स्थायी कमीशन दीजिए वरना कोर्ट ये आदेश देगा।

सीजेआई डी वाई
चंद्रचूड़ ने यथा कहा?
आप ऐसा नहीं करेंगे
तो हम आदेश देंगे

सुप्रीम कोर्ट भारतीय तटरक्षक बल की कोस्ट महिलाओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बल की योग्य महिला शॉट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मांग की गई है। - अटारी जनल अर वेक्टरस्पॉन ने कहा था कि तटरक्षक बल नैसर्ग और सेवा से कहा कि हमें ध्वजवाहक बनना

पहले ही दौरे पर शहबाज को सऊदी अरब से झटका कहा...कश्मीर के मुद्दे पर भारत से वार्ता करे पाकिस्तान

जेहा, 08 अप्रैल 2024।

पाकिस्तान के नवाचाहीन प्रभाग में शहबाज शरीफ ने दिनों अपने पहले विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने नवाज और इमरान की गहरी चर्चते हुए अपने पहले विदेश दौरे के लिए सऊदी अरब को चुना। हालांकि कश्मीर मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने शहबाज को करारा झटका दिया है। सऊदी अरब ने साफ किया है कि वह इसका विरोध किया है और इसे दिप्पशीय मुद्दा भारत द्वारा दाखिल किया है। साथ ही उसने पाकिस्तान को यह भी सलाह दी है कि वह नई दिल्ली से बातचीत के लिए इस मुद्दे का हल निकाले। सऊदी अरब के काउन प्रिंस ने साझा बयान में अन्य मुद्दों के हल के लिए भी वार्ता के महत्व पर जोर दिया है।

बता दें कि यह साझा बयान शहबाज की याचिका के क्रम में आया है। सऊदी अरब के कश्मीर को लेकर दिया गया था।


अदालत का अंजीबोगरीब फैसला, पूर्व पली पर झूठा आरोप लगाने वाले को सुनाई 80 कोड़े मारने की सजा

कराची, 08 अप्रैल 2024। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक शख्स को दुर्लभ सजा सुनाई है। अदालत ने एक शख्स को अपनी पूर्व पली पर व्यापिचार का आरोप लगाने और अपने बच्चों को अस्वीकार करने के मामले में 80 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई है। देश में अमातृर पर अब इस तरह की सजा नहीं दी जाती है। डॉन न्यूज के मुताबिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र काउन प्रिंस के हाथों रह गया है। कजफ का मतलब किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना होता। इस अध्यादेश की धारा में लिखा है कि जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े मारने की सजा दी जायेगी।

अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा- आदेश में कहा गया, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोपी झूठा है और उसने शिकायतकर्ता पर उसकी बेटी की नाजायजता के सबूत में कजफ का आरोप लगाया था। इस प्रकार उसे दोषी ठहराया जाता है और कजफ अध्यादेश 1979 की धारा 7 (1) के तहत काउन प्रिंस के दोषी ठहराया है। कजफ का मतलब किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना होता। इस अध्यादेश की धारा में लिखा है कि जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े मारने की सजा दी जायेगी।

अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा- आदेश में कहा गया, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोपी झूठा है और उसने शिकायतकर्ता पर उसकी बेटी की नाजायजता के सबूत में कजफ का आरोप लगाया था। इस प्रकार उसे दोषी ठहराया जाता है और कजफ अध्यादेश 1979 की धारा 7 (1) के तहत 80 कोड़े की सजा सुनाई जाती है। अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषियों के बाद सभी शरीयत अदालत से दोषियों की युक्ति के बाद उसकी गवाही किसी भी अदालत में स्वीकार्य नहीं होगी।

के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, दरअसल पाकिस्तान यूनून सहित अन्य वैश्विक मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया रहा है, वह यूनून के तत्वाधान में जनमत संग्रह का राग भी अलापता रहा है, हालांकि भारत ने हमेशा से ही इसका विरोध किया है और इसे दिप्पशीय मुद्दा भारत द्वारा दाखिल किया है। अब भारत ने इसका समय से रुख रहा है और कश्मीर भारत के लिए प्राक्षिपीय मुद्दा है। साथ ही उसने पाकिस्तान को यह भी सलाह दी है कि वह नई दिल्ली से बातचीत के लिए इस मुद्दे का लेकर सऊदी अरब के लिए करारा झटका दिया है।



कि दोनों पक्षों ने क्षेत्र में सांति और स्थिता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने लंबे मुद्दे, खास तौर पर जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया।

पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने 5 विलियन डॉलर के निवेश पैकेज के फैले बढ़ाने के लिए भारत के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया।

जागा की स्थिति पर भी हुई चर्चा

5 विलियन डॉलर के निवेश पैकेज को लेकर जताई प्रतिबद्धता

बयान के मुताबिक, सऊदी क्राउन प्रिंस ने इस दौरान शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए शुभकामनाएं दी। इस पर शहबाज ने क्राउन प्रिंस के सम्मन और आतिथ्य इसके क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और इसके लिए नए गार्ड तत्वाधान पर जोर दिया गया। इसके बाद शहबाज ने दिप्पशीय संबंधों में और प्रतिक्रिया को लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जारी। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच कश्मीर सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसमें कहा गया

सलाहन को पाकिस्तान की आधिकारिक याचिका के लिए आमंत्रित किया, जिसे क्राउन प्रिंस ने स्वीकार कर दिया।



चीन ने अमेरिका पर लगाए आरोप-हमारे छात्रों को जबरदस्ती देश से निकाला गया, जवाबी कार्रवाई की घोषणा

बीजिंग, 08 अप्रैल 2024। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से विश्वों में लंबी देखी जा रही है। चीन ने अमेरिका के बीची छात्रों को बिना किसी सबूत के जबरदस्ती देश से निवासित करने का आरोप लगाया है। इस बारे में अमेरिका को जबाबी कार्रवाई की घोषणा दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रासांगिक प्रस्तावों के साथ-साथ अब शांति पवल के अनुसार शांति प्रक्रिया को लिए भारतीय विदेश संबूत के, मनमाने तरीके से चीनी छात्रों के बीच रख कर दिए। उनके अमेरिका पर विश्वासी देश से निवासित कर दिया।

चीन ने दी सख्त कार्रवाई की घोषणा

माओ ने कहा कि अमेरिका के इस कदम की वजह से उन छात्रों को भारी नुकसान पूर्हा है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि अमेरिका के अधिकारी छात्रों की क्रियाएं को निर्वासित करने के लिए बड़े बदले बनाने पर आमदा है। ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और राजनीति से विश्वासी देश से निवासित कर दिया गया।

चीन के छात्रों को जबरन देश से निकाला गया

अमेरिका में चीन के राजदूत शीर्ष फैसल का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में आने वाले चीन के लोगों और छात्रों को हर महीने प्रवेश से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास वैध वीज की साथ ही उन्हें जाने में इसकी मद्दत के बारे में बहुत अधिक विवाद है। लेकिन जब वे घबड़ा हुए पर उत्तर से अधिकारियों द्वारा आठ घंटे के लिए बाहर कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें अपने प्रवेश पत्र के अनुसार अनुसार आरोप लगाया गया। यह तक कि उन्हें जबरन देश से निकाला गया और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिविलरिटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारतीय छात्रों ने अमेरिका के विश्वासी संस्थानों में चीन के छात्रों को पीछे छोड़ दिया। पिछले साल अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़कर 3.20 लाख हो गई।

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट जज पर फूटा मरक
का गुस्सा, सविधान को धोखा देने का आरोप

बॉसिंगटन, 08 अप्रैल 2024। दिमाग कारोबारी एलन मस्क का ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर गुस्सा फूटा है और उन्होंने जज के इसीपैके की मांग कर दी है। दरअसल ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के जज एलेन जन्सन डे मोरस ने ब्राजील में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है और कई यूजर्स को जेल में डालने की भी आरोप है। दावा किया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्राजील की सरकार के खिलाफ झूँझी खबरें पैसांग रहे थे। जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, उनमें कई अकाउंट्स ब्राजील के सोशल मीडिया इफ्टर्नशिप के हैं।

ब्राजील के जज पर फूटा मरक

फूटा एलन मस्क का गुस्सा सोशल मीडिया पर कथित संसरणियों लाने को लेकर एलन मस्क ने जज मोरस पर तीखा हमला बोला। एक पोर्ट में उन्होंने लिखा कि यह जज मनमाने तरीके से ब्राजील के लोगों और सविधान के साथ थोका कर रहा है। उसे इतनीपाक देना चाहिए या उसे उनके खिलाफ महारियों लाकर उसे पद से हटा देना चाहिए। मस्क ने एक अच्छे पोर्ट में लिखा कि इस जज ने हम पर भारी जुर्माना लगाया है और हमारे कई कर्मचारियों को गिरफतार करने की धमकी दी है। इसके चलते हम ब्राजील में पूरा राजसव खो सकते हैं और हम लोक नहीं लाभ ले सकते हैं कि हम ब्राजील में अपना ऑफिस बदल दिया है।

जेरा बोल्सोनारो के विरोधी माने जाते हैं जज मोरस

एलेन जन्सन डे मोरस ने एक चर्चित नाम है। कुछ लोग उन्हें विवादित मानते हैं तो कुछ उन्हें लोकतंत्र का रखकर देते हैं। मोरस के ब्राजील के सुप्रीम रिपोर्टर द्वारा टिक्टूल ट्रिब्युनल के प्रमुख भी हैं। मोरस के आलोचकों का आरोप है कि वह ब्राजील में बोलने की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रदेश की उन्नति है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान का इत्तेमाल कर लोकतंत्र को भजबूत बनाने में अपनी धूम



रेहण्ड पार्क रेंजर ने जेसीबी लगा सैकड़ों इमारती पेड़ क्यों करवाया नष्ट ?

» गुरु धारीदास राष्ट्रीय उद्यान पार्क परिक्षेत्र रेंज महुली का मामला
» रेंजर के इश्वर पर डिप्टी रेंजर, बीट गार्ड ने जंगल उडाइने का लिया है ठेका, जंगल उडाइ कर तालाब बनाने की तैयारी

- रवि सिंह -
कोरिया/सुजुपर, 08 अप्रैल 2024
(घटती-घटना)

सुरजपुर जिले के वनांचल क्षेत्र गुरु धारीदास राष्ट्रीय उद्यान पार्क रेंज महुली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छतरगढ़ बहरा जंगल के बीच में तालाब निर्माण करने के लिए रेंजर ललित साय पैकरा, डिप्टी रेंजर, बीट गार्ड और खाद सिंह, बीट गार्ड राजकुमार द्वारा धड़ले से जेसीबी मशीन लगा कर सैकड़ों इमारती पेड़ साल व तेंदु इत्यादि का बली दे दिया गया।

गैरीलतब हो कि पार्क परिक्षेत्र में लगातार तालाब निर्माण व अन्य कार्य जेरों पर चल रहे हैं जिनमें विभागीय अधिकारी कर्मचारी सांस्कृतिक हस्तक्षेप करने के लिए रेंजर ललित साय पैकरा व बीट गार्ड राजकुमार द्वारा धड़ले से जेसीबी मशीन लगा कर सैकड़ों इमारती पेड़ साल व तेंदु इत्यादि का बली दे दिया गया।



तालाब निर्माण में जेसीबी

जानकारी के अनुसार जंगल में पशु पक्षियों के पानी पिने के लिए रेंजर ललित साय पैकरा व बीट गार्ड कार्य खत्म करने के चक्कर में धड़ले से जेसीबी मशीन उपयोग कर कार्य कराया जा रहा है जो कि शासन के नियमानुसार गलत है।

वयों जंगलों में राजस्थान से टैक्टर व मशीन मंगा कर किया जा रहा उपयोग ?

जंगल में होने वाले विभागीय कार्यों में लगातार राजस्थान से टैक्टर व जेसीबी मशीन मंगा कर कार्य कराया जा रहा है जिसके लिए धड़ले से जेसीबी मशीन उपयोग कर कार्य कराया जा रहा है जो कि शासन के नियमानुसार गलत है।

उद्देश्य से लगातार कर रहे हैं। स्थानीय मजदूरों के पेट काट रहे हैं और स्थानीय टैक्टर व जेसीबी मशीन न लगा कर

बाहर से अपना मशीन मंगा कर स्थानीय लोगों का भी रोजी रोटी पर पानी फेर रहे हैं यह गलत बात है।

बड़े पैमाने पर पेड़ हुए नष्ट ?

रेहण्ड पार्क परिक्षेत्र महुली रेंज में छोटे व बड़े तालाब निर्माण कार्य में जेसीबी मशीन लगातार रेंजर ललित साय पैकरा व बीट गार्ड के मशीनों से सैकड़ों इमारती पेड़ों की बलि चढ़ी की मसित लगाया लगायी होगी ऐसे में आदिकारी क्रामिये भी नारज हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से जंगल के रक्षक भक्षक वयों बन बैठे हैं जो कमाई करने के उद्देश्य से जंगल खत्म कर रहे हैं।

रेहण्ड पार्क महुली से लकड़ी तस्करी भी जोरो पर सूत्र

मिली जानकारी के अनुसार इन जंगलों से पिछले सालों से लगातार सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है कि जंगलों को काटा रखा कर विभागीय अधिकारी व कम्बारी सलिल हो कर इमारती लकड़ीयों की तस्करी करवा रहे हैं। ऐसे में यह विषय अधिकारीयों के लिए गंभीरता से विवार करने वाला है कि वया तालाब निर्माण करने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारी अपने संरक्षण में लकड़ी कटवा कर तस्करी तो नहीं करवा रहे हैं।

वया इन कार्यों में वन विभाग के मगरमच्छ का भी है हाथ ?

रेहण्ड पार्क परिक्षेत्र महुली रेंज के इन तालाब निर्माण कार्य में राजस्थान से आ कर भवरलाल व शैतान नामक व्यक्ति वन विभाग के एक बड़े अधिकारी जो वन विभाग के मामरमच्छ नाम से मशहूर है उसके संस्थान से हर तालाब में अपनी जेसीबी मशीन व मिनी हाँवांग टैक्टर लगातार आ रही है जिसके लिए धड़ले से जेसीबी मशीन व मिनी हाँवांग तथा टैक्टर लगा के कार्य कर रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के मगरमच्छ पर रेहण्ड के जंगल को खत्म करने वया भूमिका है यह जांच का विषय है।

दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

आरोपी द्वारा मोबाइल के माध्यम से पीड़िता से करता था अलील बातें

» आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर जबरन

घटना को दिया गया अंताम

» घर के बाहर बाड़ी में

जबरन किया गया दुष्कर्म

» थाना उदयपुर पुलिस

द्वारा मामले में की गई

सख्त कार्रवाई

- संवाददाता -

अंबिकापुर, 08 अप्रैल 2024

(घटती-घटना)।

ममले में अपाराध पंजांबद्ध उपरांत मामले के आरोपी प्रायास की धरपत्रियों की धरपत्रियों एवं गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना उदयपुर पुलिस के द्वारा दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।

ममले का विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, कि उदयपुर निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

कि दिनांक 07/04/2024 को प्रार्थित पीड़िता इस आशय का स्थानीय रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उसके लिए निवासी प्रायास प्रजापति द्वारा पीड़िता के इच्छा के विवरण इस प्रकार है।

ममले के विवरण इस प्रकार है,

